प्रेस विज्ञप्ति

इलेक्ट्रिसिटी को अधिक किफायती बनाना

18 अप्रैल, 2024 मीडिया पूछताछ

अल्बर्टा की सरकार, अल्बर्टा वासियों को कीमतों में बढ़ोतरी से सुरक्षा प्रदान करके और उनको अपने विकल्पों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में सहायता करके, इलेक्ट्रिसिटी को अधिक किफायती बना रही है।

कीमतों में अचानक होने वाले बढ़ोतरी से अल्बर्टा वासियों को डिफॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी दर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अल्बर्टा सरकार इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में अस्थिरता मे कमी लाकर और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करके इलेक्ट्रिसिटी को और अधिक किफायती बनाने के लिए इस वसंत ऋतु में विधेयक और नए नियम पेश करने का इरादा रखती है। प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी प्रदाता के लिए हर दो वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी दर को तय करके, डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी दरों को स्थिर किया जाएगा। ऐसा करने से उन अल्बर्टावासियों के लिए कीमतों में वृद्धि को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, और इनमें ग्रामीण अल्बर्टावासी भी शामिल हैं जिनके पास संभवत: अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, या ऐसे लोग जिनकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब है या जिनको अन्य वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें वरिष्ठ नागरिक और समाज के अन्य कमज़ोर वर्ग के लोग भी शामिल हैं।

“अल्बर्टा वासियों को हर महीने अपना बिल देखने में डरने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की अप्रत्याशित लागतों के कारण, परिवारों को अपने घरेलू बजट की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है और हम इलेक्ट्रिसिटी के बिलों से जुड़े भ्रम की स्थिति को अल्बर्टावासियों के लिए वित्तीय कठिनाई का कारण नहीं बनने दे सकते। हमने वादा किया था कि हम यूटिलिटी बिलों के संबंध में असमर्थता का हल करेंगे और हम वही करने के लिए पहला कदम उठा रहे हैं, और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।”

डेनिएल स्मिथ, प्रीमियर ऑफ अल्बर्टा

डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी दर का नाम, रेग्यूलेटेड रेट ऑप्शन (RRO) भ्रामक है, क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए रेग्यूलेटेड शब्द भ्रामक है और उनको इस शब्द से सुरक्षा का गलत संदेश मिलता है कि यह दर सरकार नियंत्रित करती है। आरआरओ कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर, अल्बर्टा सरकार इस वसंत के दौरान विधेयक पेश करने का इरादा रखती है जिसमें डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी रेट को रेट ऑफ लॉस्ट रिसॉर्ट का नाम दिया जाएगा। इसे रेट ऑफ लॉस्ट रिसॉर्ट नाम में बदलने पर उपभोक्ता उनके द्वारा भुगतान की जा रही दर को बेहतर समझ सकेंगे और उनको अपने लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प खोजने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

“ज्ञान ही शक्ति है, और अल्बर्टावासियों को अपने विकल्पों की जानकारी होनी चाहिए। यूटिलिटी बिल किसी भी सीमित बजट को बना और बिगाड़ सकते हैं, जहां पर थोड़ा पैसा भी मायने रखता है, और इसलिए, हम इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में अचानक होने वाली वृद्धि के बारे में सीमित विकल्प रखने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, सभी अल्बर्टावासियों के लिए जीवन अधिक सहज हो सकेगा क्योंकि इससे यूटीलिटीज़ की कीमतों में गिरावट का दवाब बनता है।“

नॉथन न्यूडॉर्फ, मिनिस्टर ऑफ अफॉर्डिबिलिटी एण्ड यूटीलिटीज़

जब किसी उपभोक्ता द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक समझौते पर हस्ताक्षर न करने का विकल्प चुना जाता है, तो उन्हें स्वत: ही अपने स्थानीय डिफ़ॉल्ट प्रदाता से डिफ़ॉल्ट दर पर इलेक्ट्रिसिटी को खरीदना होगा। अल्बर्टावासियों को इलेक्ट्रिसिटी दर विकल्पों के बारे में और अधिक जागरूक बनाने के लिए, अल्बर्टा सरकार डिफ़ॉल्ट यूटीलिटीज़ प्रदाताओं के लिए अतिरिक्त शर्तों को लागू करने का इरादा रखती है। अपनी सेवाएं प्रदान करने के 90 दिनों के भीतर, प्रदाताओं को अपने ग्राहक से यह पुष्टि करनी होगी कि क्या वे प्रतिस्पर्धात्मक दर समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे या डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी दर के साथ जुड़े रहेंगे। प्रदाताओं को अपने उपभोक्ताओं के साथ यह जानकारी भी साझा करनी होगी कि वे किस तरह से यूटीलिटीज़ उपभोक्ता एडवोकेट संसाधनों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार की ओर से यह भी तय किया जाएगा कि प्रदाताओं को उपभोक्ताओं को उनके मासिक बिलों में उनके विकल्पों के बारे में स्मरण भी कराना होगा।

अल्बर्टा की प्रतिस्पर्धात्मक खुदरा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट से अल्बर्टावासियों को 50 प्रतिस्पर्धात्मक क़ीमत खुदरा प्रदाताओं से अधिक में से चुनने का विकल्प प्राप्त होता है जो तय और परिवर्तनशील दर समझौते प्रदान करते हैं। अल्बर्टावासियों में लाखों लोगों ने 2023 में डिफ़ॉल्ट दर को छोड़ दिया है, और जो लोग अभी भी दर के साथ जुड़े हैं, उनको अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको अपने यूटिलिटी बिल के संबंध में सहायता की आवश्यकता है, या जिनका अपने प्रदाता के साथ विवाद जारी है, उनको यूटीलिटीज़ उपभोक्ता एडवोकेट के साथ संपर्क करना चाहिए।

संक्षिप्त तथ्य

- इलेक्ट्रिसिटी और प्राकृतिक गैस यूटीलिटीज़ को खरीदते समय तीन विकल्प मिलते हैं: डिफ़ॉल्ट आरआरओ, विचलनशील (फ्लोटिंग) दर पर प्रतिस्पर्धात्मक समझौता, या तय दर पर प्रतिस्पर्धात्मक समझौता।
  - यूटिलिटी दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, यूटीलिटीज़ उपभोक्ता एडवोकेट से संपर्क करें या उनकी वेबसाइट को देखें।
  - अल्बर्टा में, ऐसे उपभोक्ता जो प्रतिस्पर्धात्मक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, वे अपने स्थानीय आरआरओ प्रदाता से डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी दर प्राप्त करेंगे।
  - वर्तमान में डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी दरों में, अल्बर्टा में इलेक्ट्रिसिटी की बाजार कीमतों के आधार पर महीने-दर-महीने के अनुसार उतार-चढ़ाव होता रहता है। इन दरों को अल्बर्टा

यूटीलिटीज़ कमीशन (एयूसी) द्वारा तय किया जाता है और सरकार इन दरों को तय नहीं करती है।

- आवासीय उपभोक्ताओं में से लगभग 29 प्रतिशत द्वारा डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी दर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी की खरीद की जाती है।
- पात्रता रखने वाले लगभग 32 प्रतिशत वाणिज्यिक उपभोक्ता और खेती से जुड़े 46 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी दर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी की खरीद की जाती है।

संबंधित जानकारी

- यूटीलिटीज़ उपभोक्ता एडवोकेट
- एमएसए मॉडलिंग

संबंधित समाचार

- जनवरी में उपभोक्ताओं के लिए संवर्धित यूटिलिटी राहत (21 दिसम्बर, 2022)

मल्टीमीडिया

- न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखें

मीडिया पूछताछ

सैम ब्लैकेट

587-589-6048
प्रेस सचिव, ऑफ़िस ऑफ दी प्रीमियर

एश्ले एम स्टीवेंसन

587-357-2141
प्रेस सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ अफोर्डेबिलिटी और यूटीलिटीज़